न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 05 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट

1. घमूराम
2. उम्मेदाराम
3. रामचंद्रराम अपीलांट 1 ता 3 पिसरान पूनमाराम
4. रेशमा पत्नी सुजाराम
5. मंदराराम पुत्र सुजाराम
6. ताराराम पुत्र सुजाराम
7. हउवा
8. डाई
9. पंची
10. लूणी
11. धूड़ी
12. पालू अपीलांट 7 ता 12 पुत्रियान सुजाराम
13. राणी पत्नी सागराराम
14. जयराम पुत्र सागराराम
15. रूगाराम पुत्र सागराराम
16. कमला पुत्र सागराराम सर्वे जातियान मेगवंशी(मेघवाल) निवासीयान ग्राम चेलक तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.आम्बाराम
2.रामजीराम
3.सायबाराम
4.भभूताराम रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4
5.तामलराम
6.हसणाराम
7.जेताराम रेस्पोडेंट संख्या 5 ता 6 पुत्रान कस्तूराराम सर्वे जातियान मेघवाल निवासीयान ग्राम चेलक फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।
8.शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा देवीकोट
9.तहसीलदार फतेहगढ़।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 21 / 2015 निर्णय दिनांक 12.04.2016।

उपस्थित

1. वकील श्री मुल्तानाराम बारूपाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– **25.04.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 25 व 87 ग्राम बिजौता संयुक्त रकबा 213.18 बीघा भूमि समरी खसरा संख्या 170 से बने हैं जो समरी खसरा संख्या 170 प्रार्थीगण वालिद स्व0 पूनमाराम वल्द गिरधारीराम कौम भांभरी की समरी खातेदारी की भूमि रही है जिस पर अपीलांट / प्राथीगण का कब्जा–काश्त वक्त समरी से लगातर आज दिन तक निरंतर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

व निर्बाध रूप से है। समरी खसरा संख्या 170 से बने नवीन खसरा संख्या 25 व 87 संयुक्त रकबा 213.18 बीघा ग्राम बिजौता को गलत रूप से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कर दिया गया। इस अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को सुनकर दिनांक 02.11.2015 को अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर यथास्थिति बनाये रखने का अंतरिम स्थगन जारी किया जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2016 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का यह विश्लेषण कि आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जिस पर वे काबिज काश्त है आदेश में अंकित किया है जबकि ऐसा कोई प्रमाण रेकर्ड पर मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना इस पर विचार किये फौरी तौर पर आदेश पारित किया जो कि काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि नियमित बंदोबस्त में समरी बंदोबस्त की पूर्ववर्ती प्रविष्टियों को दोहराया जाना था जो नहीं किया जाकर उनके पूर्वज पूनमाराम के नाम समरी बंदोबस्त में ग्राम बींजोता के खसरा संख्या 170 की नियमित बंदोबस्त में खसरा संख्या 25 एवं 87 की भूमि रकबा 213.18 बीघा गलत तरीके से रेस्पोडेंटगण के नाम दर्ज कर दी जबकि रेस्पोडेंट के पूर्वज पूनमाराम उस पर अपने जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहे व अपीलांट भी इसी विश्वास में रहे कि विवादग्रस्त आराजी उनके नाम दर्ज है परन्तु अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर बलपूर्वक कब्जा करने इसकी भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन करने व इसे खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 व 07 की ओर से अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के पूर्वज कस्तूराराम के बंट में आने पर प्रार्थीगण के पूर्वज व कस्तूराराम के भाई पूनमाराम स्वयं ने इस रेस्पोडेंटगण के नाम दर्ज कराया था क्योंकि कस्तूराराम की मृत्यु संवत् 2018 में हो चुकी थी। उक्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम नियमित बंदोबस्त में दर्ज होने से आज तक रेस्पोडेंटगण के स्वत्व एवं कब्जा काश्त की रही है जिस पर अपीलांटगण का कोई हक हकूक प्रारम्भ से नहीं रहा है। उक्त स्थिति में प्रथम दृष्टया मामल, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटगण के पक्ष में

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ठहरते है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ है कि विवादित आराजी रेस्पोडेंटगण की खातेदारी में दर्ज है जिस पर वे काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर भी ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो अपीलांटगण का कब्जा विवादित आराजी पर सिद्ध करता हो। यह सर्वविदित सिद्धांत है कि अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसकी बेदखली या उसके अधिकारों में दखल कठोरतम कदम है। उभयपक्षों के मध्य खातेदारी हकों की घोषणा वाद के विचारण पश्चात ही अभिनिर्धारित होगी। अतः पृथमदृष्टयां मामला तथा सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं है। इसके विपरीत यदि वक्त सेटलमेंट से रिकॉर्डेड खातेदारों (रेस्पोडेंटगण) के विरूद्ध कोई अस्थाई व्यादेश जारी किया जाता है तो उनको अपूर्णीय क्षति और उनके खातेदारी अधिकारों के उपयोग में व्यवधान संभाव्य है वर्तमान जमाबंदी के अनुसार रेस्पोडेंटगण में विवादग्रस्त जोत का विभाजन हो जाने के फलस्वरूप उनका पृथक–पृथक खाता भी कायम हो चुका है। लिहाजा अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने लायक नहीं है।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ़ द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 21/2015 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.04.2016 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

25/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner